Tamperin of Auto-Rick tiaw Meters

*260. DR. BAPU KALDATE;
SHRIMATI KAMLA SINHA;

Will. the Minister of. SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Goverment's attention-has been drawn to the report appearing in the Pioneer dated 18th December, 1993 regarding large scale tampering of auto-rickshaw meters at certain workshops in Delhi; and

(b) if so, what action has been taken by Government to check the malpractice to fleece the commuters as also against those indulging in it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYT-LER): (a) and (b) No such report appeared in the Pioneer dated 18th December, 1993. However such a report had appeared in Pioneer dated 18th February, 1994.

The Department of Weights and Measures Government of National Capital Territory of Delhi, conducted surprise inspections at various licensed repairing workshops of auto-rickshaws and taxi fare meters but no such ease of tampering of meters was noticed. However, during periodical checks from 1.1.1993 to 28.2.1994, 3975 auto-rickshaws and 333 taxies were challaned for broken meters| tampered stamps etc.

Indoor Pollution

2769. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain items of daily use in a household are responsible for indoor pollution;

(b) whether it is also a fact that there is a general unawareness among the people in this regard; and

(c) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRON-MENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The majority of rural households use conventional -sources of fuel such as fuel wood, dung cake and agricultural residues for coking and space heating with the help of traditional Chulhas. Various studios conducted on the pollultion. from traditional Chulhas indicate that a major source of indoor air pollution in the rural areas is domestic cooking and space heating using the above fuels. The combustion of these fuels in traditional Chulhas which have low thermal efficiency give rise to high emission factors.

(b) The users of traditional Chul has are generally unaware about the harmful health effects of the biomass smoke except the direct effects such as irritation in eyes, throat etc.

(c) The Ministry of Non-Conven-rional Energy Sources is implement. ing two National Programmes viz., National Programme on Improved Chulha and National Project on Bio-gas Development. One of the major objectives Of the above two National Programmes is to reduce the incidence of smoke related diseases in the rural households. The two programmes provide for central subsidies to the beneficiaries for installation of impro ved Chulhas and Biogas plants res pectively besides other incentives. The programmes also support publi city and awareness campaigns both at the Central and State levels through TV, radio and print media in addition to local and traditional means. Under the above programmes 157.05 lakhs Chulhas and 18.68 lakh Biogas plants have so far been set up in the country.

"बिहार में विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना

2770. श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 को

पर्यावरण और वन नीति के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी बिहार की विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ख) परियोजना के संबंध में अंतिम निर्णय परियोजना प्राधिकारियों से मांगे गए पूरे आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है। पूर्ण ब्यौरों के साथ भेजी गई परियोजनाओं पर पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले में तीन महीने के भीतर और वन भूमि के उपयोग के मामले में एक महीने के भीतर निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

31-12-93 को बिहार में लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणियां
क.	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव :	
1	एमजोर खनन परियोजना--पिराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल लि.	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।
2	नौमुण्डी लौह अयस्क खान--टिस्को	समिति द्वारा संस्तुत।
3	चूरी भूमिगत परियोजना (सी.सी.एल.)	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।
4	केडला खुली खदान परियोजना (सी.सी.एल.)	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।
5	अशोक खुली खान परियोजना (सी.सी.एल.)	--वही--
6	कोणार खुली खदान परियोजना (सी.सी.एल.)	--वही--
7	तुलसीडामर डोलोमाइट खान (सेल)	--वही--
8	कावेरी खुली खदान परियोजना (सी.सी.एल.)	--वही--
9	झारखण्ड खुली खदान परियोजना (सी.सी.एल.)	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	टिप्पणियां
10	गिडि(क) खुली खदान परियोजना	परियोजना प्राधिकारी द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।
11	उत्तरी उड़ीमाड़ी खुली खदान परियोजना (सी०सी०एल०)	चुलाई, 1993 में मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12	राजबाचड़ा भूमिगत परियोजना (सी०सी०एल०)	परियोजना प्राधिकारी से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
13	तपिन दक्षिण खुली खदान परियोजना (सी०सी० एल०)	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।
14	गोविन्दपुर खुली खदान परियोजना (सी०सी० एल०)	–वही–
15	रोहिणी खुली खदान परियोजना	समिति द्वारा संस्तुत। वन संबंधी स्वीकृति से सम्बद्ध।
16	कर्मा खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फील्ड लि० (सी०सी०एल०)	परियोजना प्राधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
17	बोकारो इस्पात संयंत्र कोल ब्रिकेटिंग यूनिट	मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
18	टी०आई०एस०सी०ओ० का कैप्टिव पावर प्लांट 67.5 मे० वा०	समिति द्वारा संस्तुत।

ख. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के उपयोग के लिए भेजे गए प्रस्ताव

1	राखा कापर प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान कॉपर लि०	सिद्धान्तः स्वीकृत।
2	झारखण्ड कोयला परियोजना,	कार्रवाई चल रही है।